न्यायालयः— जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या—1216 / 2026
महिला थानाकांड संख्या—20 / 26

जुबैर उर्फ जुबैर आलम एवं 02 अन्य....................आवेदकगण।
बनाम
बिहार राज्य

उपस्थिति :—
वास्ते आवेदक :— श्री प्रदीप कुमार रॉय, विद्वान अधिवक्ता।
वास्ते अभियोजन :— श्री रघुनाथ विश्वास, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

28.07.2026 आवेदकगण / अभियुक्तगण 1—जुबैर उर्फ मो0 जुबैर आलम, 2—मन्नान उर्फ मो0 मन्नान आलम, 3. हन्नान उर्फ मो0 हन्नान तीनों पिता—मो0 ऐनुल उर्फ अशुद्दीन, सभी साकिन कुरसैल वार्ड नं0 07, थाना—महलगांव, जिला अररिया, की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर BNSS की धारा—482(1) के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक—03.06.2026 जो महिला थानाकांड संख्या—20 / 26 अंतर्गत धारा—126(2), 115(2), 85, 351(3), 3(5), बीएनएस एवं 4 डी.पी एक्ट से संबंधित दाखिल किया गया है।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से एक आवेदन दाखिल कर प्रार्थना किया गया कि, पुलिस के द्वारा सी.जे.एम. अररिया के न्यायालय में आरोपपत्र समर्पित किया जा चुका है जिसमें आवेदकगण को धारा 35(3) बीएनएस का लाभ दिया गया है इसलिए आवेदकगण अपना अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को दी जा चुकी है। उस पर उनकी अनापत्ति है।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए आवेदकगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को वापसी के रूप में खारिज किया जाता है तथा उक्त आवेदन का निस्तारण किया जाता है।

(लेखापित)

Sd/-
(संजीत कुमार सिंह)
I/C जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश—द्वितीय,
अररिया।